# न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर।

**अपील संख्या 06/2022 (जीसीएमएस नम्बर 2022/31)**

1. ग्राम पंचायत नामनेर पंचायत समिति सिकराय, तहसील सिकराय, जिला दौसा राज0 जरिये सरपंच–मोनिका बैरवा

**– अपीलान्ट**

**बनाम**

1. उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय, जिला दौसा।

**–रेस्पोडेन्ट्स**

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा निर्णय दिनांक 10.12.2021**

**उपस्थित :–**

1. श्री राकेश जैमन, वकील अपीलान्ट।
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पों. नं. 1 व 2 की ओर से।

**निर्णय**

**दिनांक –28.11.2024**

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 10.12.2021 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प के दौरान तहसीलदार सिकराय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा को ग्राम मोरेड स्थित खसरा नम्बर 136 रकबा 2.36 है0 किस्म चरागाह में से 0.25 है0 भूमि कब्रिस्तान ग्राम मोरेड में आरक्षित करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा द्वारा ग्राम पंचायत नामनेर की अनुशंषा के आधार पर ग्राम मोरेड़ स्थित खसरा नम्बर 136 रकबा 2.36 है0 किस्म चरागाह में से 0.25 है0 भूमि कब्रिस्तान हेतु आरक्षित करने एवं उक्त भूमि चरागाह के खाते में दर्ज करने तथा पृथक से बटा नम्बर डालकर नक्शे में अंकित कर अमल दरामद किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.12.2021 पारित किये गये हैं।

3. उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 10.12.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट ग्राम पंचायत नामनेर, पंचायत समिति सिकराय, तहसील सिकराय, जिला दौसा राज0 जरिये सरपंच–मोनिका बैरवा द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.12.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का तहत रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय ने कानून को ताक में रखते हुये विधि विरूद्ध तरीके से व बिना क्षेत्राधिकार के चरागाह भूमि खसरा नम्बर 136 वाके ग्राम मोरेड, तहसील सिकराय में से 0.25 है0 भूमि कब्रिस्तान हेतु आरक्षित करके कानूनी गलती की है तथा अपीलाधीन आदेश गैर कानूनी रूप से पारित किया गया है। नाथ समाज के लोगों ने भूमि खसरा नम्बर 136 में से कब्रिस्तान हेतु कोई भूमि की मांग नहीं की। तथा फिर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने गैर कानूनी रूप से चरागाह भूमि खसरा नम्बर 136 में से कब्रिस्तान के लिये 25 ऐयर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

भूमि देकर कानूनी गलती की है। ग्राम पंचायत नामनेर पंचायत समिति सिकराय, जिला दौसा ने दिनांक 29.11.2021 को ग्राम सभा में प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 29.11.2021 को यह लिया गया कि राजस्व ग्राम मोरेड के नाथ समाज के व्यक्तियों ने नाथ समाज का मोक्ष धाम बनवाने हेतु चरागाह भूमि में से एक बीघा भूमि अलाटमेन्ट करवाने हेतु आवेदन पेश किया। जिस पर सर्व सम्मति से खसरा नम्बर 353 ग्राम मोरेड में से एक बीघा भूमि अलाटमेन्ट करवाने का निर्णय लिया गया। इसके बावजूद भी नाथ समाज मोरेड के लोगों को मोक्ष धाम हेतु खसरा नम्बर भूमि 353 में से भूमि नहीं दी गयी व अवैधानिक रूप से बिना प्रस्ताव पास किये ही भूमि खसरा नम्बर 136 चरागाह में से नाथ समाज के लिये कब्रिस्तान हेतु 25 ऐयर भूमि अधीनस्थ न्यायालय ने आरक्षित कर दी। जबकि प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 29.11.2021 में तो भूमि खसरा नम्बर 353 में से भूमि देना प्रस्तावित किया था। ग्राम विकास अधिकारी ललतेश पालीवाल जो कि ग्राम पंचायत नामनेर में ग्राम विकास अधिकारी है जिन्होने सरपंच की लेटरपैड पर अपनी बकलम से प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 29.11.2021 का हवाला देते हुये अपने बकलम से लिखावट करके खसरा नम्बर खाली छोडते हुये महिला सरपंच मोनिका बैरवा के हस्ताक्षर करवा लिये इसके बाद गलत रूप से चुपचाप खसरा नम्बर 136 दर्ज कर दिया। इस लैटरपैड में भी प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 29.11.21 का हवाला दर्ज है। प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 29.11.2021 तो वास्तविक रूप से चरागाह भूमि खसरा नम्बर 353 में से एक बीघा भूमि नाथ समाज के लोगों के कब्रिस्तान हेतु भूमि देना अंकित है।

ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत नामनेर के लेटरपेड पर ग्राम विकास अधिकारी द्वारा हस्तलिखित लिखावट जो कि खसरा नम्बर 136 के बारे में है। वह कानूनन प्रारम्भ से ही बेअसर, प्रभावहीन व कानूनन शून्य है। ऐसी लिखावट का कानून में कोई महत्व नहीं है। क्योंकि चरागाह भूमि खसरा नम्बर 136 ग्राम मोरेड के संबंध में तो ग्राम पंचायत में कभी भी कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है। जबकि प्रस्ताव तो चरागाह भूमि खसरा नम्बर 353 के संबंध में पारित हुआ है। बिना कौरम व ग्राम सभा के प्रस्ताव के खसरा नम्बर 136 की लिखावट का लैटरपैड है। उसका कानून में कोई महत्व नहीं है। ऐसी स्थिति में कानूनन भूमि खसरा नम्बर 136 में से कब्रिस्तान हेतु भूमि आरक्षित नहीं की जा सकती है। खसरा नम्बर 154 ग्राम मोरेड में आबादी रिहायश के लगते हुये कब्रिस्तान हेतु उक्त भूमि आरक्षित की वह राजकीय सैकण्ड्री स्कूल के गेट के सामने व सार्वजनिक पार्क खसरा नम्बर 404/134 के पीछे लगते हुये नाथ समाज के कब्रिस्तान हेतु उक्त भूमि आरक्षित की है, जो नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा दिनांक 10.12.2021 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट्स की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.12.2021 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि ग्राम पंचायत के प्रस्ताव तथा पत्र में खसरा नम्बर भिन्न–भिन्न अंकित है तथा भूमि की किस्म चारागाह है। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव तथा लेटरपेड में भिन्न–भिन्न खसरा अंकित होने से आवंटन संदेहास्पद प्रतीत होता है। उपरोक्त के आलोक में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय को निम्न निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारान को सुनकर, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर मौके की स्थिति का अवलोकन कर भूमि श्मशान हेतु आरक्षित किया जाना मौका रिपोर्ट के अनुसार उचित है अथवा नहीं बाबत विवेचन पश्चात तथा पूर्व में समाज का कोई श्मशान विद्यमान है अथवा नहीं की जॉच कर श्मशान की आवश्यकता का समग्र मूल्यांकन करने के पश्चात माननीय

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह बनाम पंजाब सरकार के प्रकरण में पारित निर्णय के अनुसरण में पुनः विधिसम्मत निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीया की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.12.2021 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा को निम्न निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारान को सुनकर, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर मौके स्थिति का अवलोकन कर भूमि श्मशान हेतु आरक्षित किया जाना मौका रिपोर्ट अनुसार उचित है अथवा नहीं बाबत विवेचन पश्चात तथा पूर्व मे समाज का कोई श्मशान विद्यमान है अथवा नहीं की जाँच कर श्मशान की आवश्यकता का समग्र मूल्यांकन करने के पश्चात माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह बनाम पंजाब सरकार के प्रकरण में पारित निर्णय के अनुसरण में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

**(डॉ0 प्रवीण कुमार)**
**अति. संभागीय आयुक्त,**
**जयपुर।**
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

**अति. संभागीय आयुक्त,**
**जयपुर।**
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर